(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं.34/ 2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः– 18 अक्टूबर, 2017

विषयः विदेश व्यापार नीति 2015–20 में संशोधन के संबंध में।

सा०आ०(अ०) समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015–20 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

1) मौजूदा पैरा 4.41(iii) निम्नानुसार पढ़ा जाता हैः–

रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के चार सितारा निर्यात हाऊस और अन्य क्षेत्र के पांच सितारा निर्यात हाऊस को क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा नामित अभिकरण के रुप में मान्यता दी जा सकती है।

2) पैरा 4.41 (iii) को संशोधित किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः–

विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के तहत नामित अभिकरणों द्वारा सोने के आयात के संबंध में किसी प्रावधान के बावजूद, नामित अभिकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किसी चार सितारा और पांच सितारा हाऊस द्वारा सोने का आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन है तथा नामित अभिकरण प्रमाण पत्र की बकाया वैधता अवधि के दौरान उन्हें सोने का आयात करने की अनुमति स्वंय विनिर्माण के प्रयोजन हेतु केवल एक निविष्टि के रुप में तथा निर्यात करने के लिए प्राप्त है।

इस अभिसूचना का प्रभावः–

अब से चार सितारा निर्यात हाऊस और पांच सितारा निर्यात हाऊस स्तर धारकों को कोई नामित अभिकरण प्रमाणपत्र प्रदान/नवीकृत नहीं किया जाएगा। मौजूदा नामित अभिकरण प्रमाण पत्र प्राप्त चार सितारा और पांच हाऊसों द्वारा सोने का आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन है तथा उन्हें नामित अभिकरण प्रमाण पत्र की बकाया वैध अवधि के दौरान सोने का आयात करने की अनुमति केवल स्वंय विनिर्माण करने और निर्यात करने के प्रयोजन के लिए दी गई है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार

(फा० सं० 01/94/180/204/एएम18/पीसी–4 से जारी)